KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(NAAC- A grade accredited institution), ISO 9001 : 2015 (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)
Managed by: JAIN EDUCATION SOCIETY
E-mail : info@kashiit.ac.in, Website : www.kashiit.ac.in 1800-123-321-123

Ref. No. Kashi IT/Notice/2024-25 / 13 *Date: - 14th November, 2024*

NOTICE

जो छात्र/छात्रा शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Scholarship) भरना चाहते हैं (TFW छात्र–छात्राओं को छोड़कर)

WEBSITE - https://scholarship.up.gov.in/

महत्वपूर्ण समयावधि –

01	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना –			
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु तीन चरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है	प्रथम चरण 12.07.2024 से 16.11.2024 तक	द्वितीय चरण 17.11.2024 से 31.12.2024 तक	तृतीय चरण 01.01.2025 से 31.03.2025 तक
	सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु दो चरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है	12.07.2024 से 16.11.2024 तक	17.11.2024 से 31.12.2024 तक	------
	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु दो चरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है	20.07.2024 से 20.11.2024 तक	20.11.2024 से 31.12.2024 तक	------
	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु दो चरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है	20.07.2024 से 20.11.2024 तक	20.11.2024 से 31.12.2024 तक	------
02	शिक्षण संस्थान मे आवेदन पत्र को आनलाइन भर के जमा करना			
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के आवेदन–पत्र को तीन चरण में फारवर्ड करने हेतु सुविधा दी गयी है, 1 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ होकर	25.11.2024 तक	07.01.2025 तक	03.04.2025 तक
	सामान्य वर्ग के छात्रों के आवेदन–पत्र को दो चरण में फारवर्ड करने हेतु सुविधा दी गयी है, 1 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ होकर	25.11.2024 तक	07.01.2025 तक	------
	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के आवेदन–पत्र को फारवर्ड करने हेतु सुविधा दी गयी है, 1 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ होकर	20.11.2024 तक	07.01.2025 तक	------
	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के आवेदन–पत्र को दो चरण में फारवर्ड करने हेतु सुविधा दी गयी	25.11.2024 तक	07.01.2025 तक	------

	है, 1 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ होकर			
03	त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्रों को छात्र/छात्रा द्वारा शुद्ध किया जाना			
	अनुसुचित जाति, जनजाति के छात्रों द्वारा दो चरण में आवेदन शुद्ध किया जायेगा	29.01.2025 से 05.02.2025 तक	29.04.2025 से 06.05.2025 तक	------
	संस्था द्वारा शुद्ध किये गये आवेदन–पत्रों को फारवर्ड किया जाना	10.02.2025 तक	29.04.2025 से 13.05.2025 तक	------
	सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा एक चरण में आवेदन शुद्ध किया जायेगा	29.01.2025 से 05.02.2025 तक	------	------
	संस्था द्वारा शुद्ध किये गये आवेदन–पत्रों को फारवर्ड किया जाना	10.02.2025 तक	------	------
	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा दो चरण में आवेदन शुद्ध किया जायेगा	06.12.2024 से 12.12.2024 तक	06.12.2024 से 27.01.2025 तक	------
	संस्था द्वारा शुद्ध किये गये आवेदन–पत्रों को फारवर्ड किया जाना	06.12.2024 से 12.12.2024 तक	06.12.2024 से 01.02.2025 तक	------
	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा एक चरण में आवेदन शुद्ध किया जायेगा	29.01.2025 से 05.02.2025 तक	------	------
	संस्था द्वारा शुद्ध किये गये आवेदन–पत्रों को फारवर्ड किया जाना	10.02.2025 तक	------	------

01– उक्त समय–सारिणी के समयाविध के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत **(Promoted with marks)** होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

02– नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या **(Enrollment Number)** को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

03– छात्र अपना आवेदन आनलाइन करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंको को जोड़ते हुये) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

वार्षिक आय की समय–सीमा–

कम सं0	योजना का नाम	छात्रवृत्ति हेतु माता–पिता/अभिभावक हेतु निर्धारित आय सीमा
1	अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना	रू0 2.50 लाख वार्षिक
2	सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना	रू0 2.00 लाख वार्षिक
3	**अन्य पिछड़ा** वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना	रू0 2.00 लाख वार्षिक
4	अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना	रू0 2.00 लाख वार्षिक

छात्र/छात्राओं को आनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र–

(1) छात्र/छात्रा का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर।
(2) छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करते समय ही उनके आधार ई0के0वाईसी0 से छात्रों का विवरण आटोफेच होगा।
(3) आय प्रमाण–पत्र (माता–पिता या अभिभावक के नाम से आय प्रमाण–पत्र) छात्र के नाम से जारी आय प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं है।
(4) जाति प्रम्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)।
(5) निवास प्रमाण–पत्र।
(6) आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र आनलाइन आवेदन के समय ही ई–डिस्ट्रिक्ट से लाइव चेक होगा।
(7) हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं अन्य उच्च कक्षाओं के शैक्षिक अंक–पत्र।
(8) बैंक पासबुक (नोट– छात्र का खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में होना चाहिये। कयोस्क आधारित फिनो पेमेण्ट बैंक, एयरटेल बैंक, पे0टी0एम0 आदि में खाता नहीं होना चाहिये), साथ ही छात्रों का बैंक खाता में आधार सीडिंग/एन0पी0सी0आई0 मैप होना आवश्यक है)
(9) संस्था में जमा किये गये शुल्क रसीद की प्रति।
(10) वर्तमान वर्ष से नवीन व्यवस्थान्तर्गत छात्रों के आवेदन भी बायोमैट्रिक आधार आथेन्टिकेशन के उपरान्त ही अग्रसारित होंगे।

शिक्षण संस्था के दायित्व –

01– जिन छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है, उन्हीं छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा फारवर्ड किया जायेगा, इस हेतु छात्र/छात्राओं को प्रतदिन कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सूचित किया जाये।

02– छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में केवल एक बार माता–पिता/अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

03– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेण्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

04– सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेण्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे। साथ ही ऐसे मान्यता प्राप्त प्रेफेशनल पाठ्यक्रम, जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा– 12 अर्थात् इण्टरमीडिएट है, के अन्तर्गत कक्षा– 12 अर्थात् इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेण्ट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

नोटः– सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वे हीं छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति का आवेदन कर सकते है, जिन्होंने काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन किया हो। सीधे प्रवेशित छात्र/छात्रा आवेदन नहीं कर सकते हैं।

Kashi Institute of Technology, Varanasi
Director